

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 21 सितम्बर, 2023

संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-51/2023.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 16) जो आज दिनांक, 21 सितम्बर, 2023 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित /—
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

2023 का विधेयक संख्यांक 16

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 2 का संशोधन।
3. धारा 10 का संशोधन।
4. धारा 16 का संशोधन।
5. धारा 17 का संशोधन।
6. धारा 23 का संशोधन।
7. धारा 24 का संशोधन।
8. धारा 30 का संशोधन।
9. धारा 37 का संशोधन।
10. धारा 39 का संशोधन।
11. धारा 44 का संशोधन।
12. धारा 52 का संशोधन।
13. धारा 54 का संशोधन।
14. धारा 56 का संशोधन।
15. धारा 62 का संशोधन।
16. धारा 109 का प्रतिस्थापन।
17. धारा 110 और 114 का लोप।
18. धारा 117 का संशोधन।
19. धारा 118 का संशोधन।
20. धारा 119 का संशोधन।
21. धारा 122 का संशोधन।
22. धारा 132 का संशोधन।

23. धारा 138 का संशोधन।
24. धारा 158क का अंतःस्थापन।
25. अनुसूची 3 का संशोधन।
26. अनुसूची 3 में कतिपय क्रियाकलापों और संव्यवहारों के लिए भूतलक्षी छूट।
27. अस्थायी उपबन्ध।

2023 का विधेयक संख्यांक 16

**हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन)
विधेयक, 2023**

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. धारा 2 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 2 में,—

(क) खंड (80) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(80क.) “ऑनलाइन गेम खेलना” से इंटरनेट या इलैक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर गेम की प्रस्थापना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऑनलाइन धनीय गेम खेलना भी है;

(80ख.) “ऑनलाइन धनीय गेम खेलना” से ऐसा ऑनलाइन गेम खेलना अभिप्रेत है, जिसमें खिलाड़ी किसी आयोजन में, जिसमें गेम, स्कीम, प्रतिस्पर्धा या कोई अन्य क्रियाकलाप या प्रक्रिया भी है, धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल ऑस्तियां भी हैं, को जीतने की प्रत्याशा में, धन या धन के मूल्य का संदाय या जमा करता है, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल ऑस्तियां भी हैं, चाहे इसका परिणाम या निष्पादन कौशल, अवसर या दोनों पर आधारित हो या नहीं, तथा चाहे वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञेय हो या नहीं;

(ख) खंड (102) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(102क.) “विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे” से,—

(i) दाव लगाने; या

- (ii) कैसिनो; या
- (iii) द्यूतक्रीड़ा; या
- (iv) घुड़दौड़; या
- (v) लॉटरी; या
- (vi) ऑनलाइन धनीय गेम खेलना;
में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावा अभिप्रेत है;”;

(ग) खंड (105) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों की पूर्ति की व्यवस्था या ठहराव करता है, जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी है, जो ऐसी पूर्ति के लिए डिजिटल या इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म का स्वामी है या उसका प्रचालन या प्रबंधन करता है, ऐसे अनुयोज्य दावों का पूर्तिकार समझा जाएगा, चाहे ऐसे अनुयोज्य दावे, उसके द्वारा या उसके माध्यम से पूर्ति किए जाते हों और चाहे ये अनुयोज्य दावों की पूर्ति के लिए धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं, में प्रतिफल, उसको या उसके माध्यम से संदत्त या सूचित किए जाते हैं या किसी भी रीति में उसको दिए जाते हैं, और इस अधिनियम के सभी उपबंध विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों के ऐसे पूर्तिकार को लागू होंगे, मानो वह ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति करने के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी पूर्तिकार हो; ; और

(घ) खंड (117) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(117क.) “आभासी डिजिटल आस्ति” का वही अर्थ होगा, जो आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (47क.) में उसको समुनदेशित है;”;

3. धारा 10 का संशोधन.—मूल अधिनियम, की धारा 10 में, -

(क) उप-धारा (2) के खण्ड (घ) में, “माल या” शब्दों का लोप किया जाएगा; और

(ख) उप-धारा 2(क) के खण्ड (ग) में, “माल या” शब्दों का लोप किया जाएगा;

4. धारा 16 का संशोधन.—मूल अधिनियम, की धारा 16 की उप-धारा (2) में,—

(i) दूसरे परंतुक में, “उस पर ब्याज सहित, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके आरूटपुट पर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा” शब्दों और चिन्हों के स्थान पर, “धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके द्वारा संदत्त किया जाएगा” शब्द, अंक और चिन्ह रखे जाएंगे; और

(ii) तीसरे परन्तुक में, “उसके द्वारा” शब्दों के पश्चात् “आपूर्तिकर्ता को” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

5. धारा 17 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 17 में,—

(क) उप-धारा (3) के स्पष्टीकरण में, “उक्त अनुसूची के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट से अन्यथा अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा।” शब्दों, अंक और चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“निम्नलिखित के सिवाय अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा,—

- (i) उक्त अनुसूची के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य; और
- (ii) उक्त अनुसूची के पैरा 8 के खंड (क) के संबंध में ऐसे कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य, जो विहित किए जाएं; और
- (ख) उप-धारा (5) के खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(च क) कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए माल या सेवाओं या दोनों जिनका कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में निर्दिष्ट निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन उसकी बाध्यताओं में संबंधित कार्यकलापों के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किए जाने के लिए आशयित है;”।

6. धारा 23 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी और 1 जुलाई, 2017 से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात्:—

“(2) धारा 22 की उप-धारा (1) या धारा 24 में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यक्षीन, जो इसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, ऐसे व्यक्तियों का प्रवर्ग, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने से छूट दी जा सकेगी, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।”।

7. धारा 24 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 24 में; —

(क) खंड (xi) के अन्त में, “और” शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (xi) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(xi) भारत से बाहर किसी स्थान से, भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति करने वाला प्रत्येक व्यक्ति; और”।

8. धारा 30 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) में; —

(क) “रद्दकरण आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को विहित रीति से रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकेगा” शब्दों के स्थान पर “ऐसे अधिकारी को ऐसी रीति, ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यक्षीन, जैसी विहित की जाएं, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकेगा।” शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे; और

(ख) परन्तुक का लोप किया जाएगा।

9. धारा 37 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(5) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उक्त ब्यौरे प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात्, कर अवधि के लिए उप-धारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या

रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को उप-धारा (1) के अधीन कर अवधि के लिए जावक पूर्तियों के ब्योरे प्रस्तुत करने के लिए उक्त ब्योरों को प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।”।

10. धारा 39 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (10) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(11) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, किसी कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात्, उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को, कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने के लिए, उक्त विवरणी को प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।”।

11. धारा 44 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 44 को उसकी उप-धारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, उप-धारा (1) के अधीन किसी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात्, वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को, उप-धारा (1) के अधीन वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उक्त वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।”।

12. धारा 52 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (14) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(15) किसी प्रचालक को, उप-धारा (4) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्, उक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी प्रचालक या प्रचालकों के वर्ग को, उप-धारा (4) के अधीन उक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से उक्त तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।”।

13. धारा 54 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 54 की उप-धारा (6) में, “जिसके अंतर्गत अंतिमतः स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की रकम नहीं है,” शब्दों और चिन्ह का लोप किया जाएगा।

14. धारा 56 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 56 में, “आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के ठीक पश्चात् की तारीख से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक” शब्दों के स्थान पर, “ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, तथा ऐसी रीति में संगणित किए जाने

वाले, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से ऐसे कर के प्रतिदाय की तारीख तक, साठ दिन से परे विलंब की ऐसी अवधि के लिए" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

15. धारा 62 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (2) में,—

(क) "तीस दिन" शब्दों के स्थान पर "साठ दिन" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) "।" चिन्ह के स्थान पर ":" चिन्ह रखा जाएगा, और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यदि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश की तामील से साठ दिन के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह उक्त निर्धारण आदेश की तामील से साठ दिन के परे विलम्ब के प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपए की अतिरिक्त विलंब फीस के संदाय पर साठ दिन की और अवधि के भीतर इसे प्रस्तुत कर सकेगा और यदि वह ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत करता है तो उक्त निर्धारण आदेश वापस ले लिया गया समझा जाएगा, किन्तु धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन ब्याज का संदाय करने या धारा 47 के अधीन विलंब फीस संदाय करने का दायित्व जारी रहेगा।"

16. धारा 109 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 109 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"109, अपील अधिकरण का गठन और उसकी न्यायपीठ.—इस अध्याय के उपबन्धों के अध्याधीन, केन्द्रीय माल और सेवा कर, 2017 के अधीन गठित माल और सेवा कर अधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित ओदशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए अपील अधिकरण होगा।"

17. धारा 110 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 110 और 114 का लोप किया जाएगा।

18. धारा 117 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 117 की उप-धारा (1) और (5) में "राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठ" शब्द जहां-जहां आते हैं, के स्थान पर "राज्य न्यायपीठ" शब्द रखे जाएंगे।

19. धारा 118 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 118 की उप-धारा में (1) के खण्ड (क) में "राष्ट्रीय न्यायपीठ या प्रांतीय न्यायपीठ" शब्दों के स्थान पर "मूल न्यायपीठ" शब्द रखे जाएंगे।

20. धारा 119 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 119 में,—

(क) "राष्ट्रीय न्यायपीठ या प्रांतीय न्यायपीठ" शब्दों के स्थान पर "मूल न्यायपीठ" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठ" शब्दों के स्थान पर "राज्य न्यायपीठ" शब्द रखे जाएंगे।

21. धारा 122 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 122 में, उप-धारा (1 क) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

(1ख) कोई इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, जो—

(i) इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त व्यक्ति से भिन्न किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति ऐसी पूर्ति करने के लिए अनुज्ञात करता है;

- (ii) इसके माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अंतर्राज्यिक पूर्ति अनुज्ञात करता है, जो ऐसी अंतर्राज्यिक पूर्ति करने के लिए पात्र नहीं है; या
- (iii) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई माल की किसी जावक पूर्ति के धारा 52 की उप-धारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में सही ब्यौरे प्रस्तुत करने में असफल रहता है, धारा 10 के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न, यदि ऐसी पूर्ति किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की गई होती, तो दस हजार रुपए का अंतर्वलित कर की रकम के समतुल्य रकम की शास्ति का संदाय करने का दायी होगा, जो भी उच्चतर हो।”।

22. धारा 132 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (1) में,—

(क) खण्ड (छ), खण्ड (ज) और खण्ड (ट) का लोप किया जाएगा;

(ख) खण्ड (ठ) में,—

- (i) “खण्ड (क) से खण्ड (ट)” शब्दों, कोष्ठक, चिन्हों और अक्षरों के स्थान पर “खण्ड (क) से खण्ड (च) और खण्ड (ज) से खण्ड (झ)” शब्द, कोष्ठक, चिन्ह और अक्षर रखे जाएंगे;
- (ii) खण्ड (iii) में, “ऐसे किसी अन्य अपराध” शब्दों के स्थान पर, “खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध” शब्द, चिन्ह, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;
- (iii) खण्ड (iv) में, “या खंड (छ) या खंड (ज)” शब्दों, चिन्हों, कोष्ठकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा।

23. धारा 138 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 138 में,—

(क) उप-धारा (1) के पहले परंतुक में,—

(i) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(क) किसी व्यक्ति, जिसे धारा 132 की उप-धारा (1) के खंड (क) से खंड (च), खंड (ज), खंड (झ) तथा खंड (ठ) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किन्हीं के संबंध में शमन के लिए एक बार अनुज्ञात किया गया है;”;

(ii) खंड (ख) का लोप किया जाएगा ;

(iii) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) कोई व्यक्ति, जो धारा 132 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन कोई अपराध करने का अभियुक्त रहा है;”;

(iv) खंड (ड) का लोप किया जाएगा; और

(ख) उप-धारा (2) में “न्यूनतम रकम दस हजार रुपए या अंतर्वलित करके पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने और अधिकतम रकम तीस हजार रुपए या कर के एक सौ पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो,” शब्दों के स्थान पर “अंतर्वलित करके

पचीस प्रतिशत और अधिकतम रकम अंतर्वलिात करके सौ प्रतिशत से अनधिक" शब्द रखे जाएंगे।

24. धारा 158क का अंतःस्थापन.—मूल अधिनियम की धारा 158 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"158क. कराधेय व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को सम्मति के आधार पर साझा करना.—(1) धारा 133, धारा 152 और धारा 158 में अंतर्वलिात किसी बात के होते हुए भी, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित ब्यौरों को, उप-धारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, ऐसी अन्य प्रणालियों के साथ, अधिसूचित सामान्य पोर्टल द्वारा साझा किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में प्रस्तुत विशिष्टियां या धारा 39 या धारा 44 के अधीन फाइल की गई विवरणी में प्रस्तुत किए गए ब्यौरे;

(ख) बीजक के सृजन के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गई विशिष्टियां, धारा 37 के अधीन प्रस्तुत जावक पूर्तियों के ब्यौरे और धारा 68 के अधीन दस्तावेजों के सृजन के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गई विशिष्टियां;

(ग) ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विहित किए जाएं।

(2) उप-धारा (1) के अधीन ब्यौरों को साझा करने के प्रयोजनों के लिए,—

(क) उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख) और खण्ड (ग) के अधीन प्रस्तुत ब्यौरों के सम्बंध में प्रतिकर्ता की सहमति; और

(ख) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन और उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन प्रस्तुत ब्यौरों के सम्बंध में प्राप्तिकर्ता की सहमति केवल जहां ऐसे ब्यौरों के अंतर्गत प्राप्तिकर्ता की पहचान सम्बंधी जानकारी भी है, ऐसे प्ररूप और रीति में अभिप्राप्त की जाएगी, जो विहित की जाए।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्वलिात किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन साझा की गई जानकारी के पारिणामिक उद्भूत होने वाली किसी दायित्व के सम्बंध में सरकार या सामान्य पोर्टल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तथा सुसंगत पूर्ति पर या सुसंगत विवरणी के अनुसार कर संदाय करने के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं होगा।"

25. अनुसूची 3 का संशोधन.—मूल अधिनियम की अनुसूची 3 के पैरा 6 में, "लाटरी, दाव और जुआ" शब्दों के स्थान पर, "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों" शब्द रखे जाएंगे।

26. अनुसूची 3 में कतिपय क्रियाकलापों और संव्यवहारों के लिए भूतलक्षी छूट.—(1) मूल अधिनियम की अनुसूची 3 के पैरा 7 और पैरा 8 और उसके स्पष्टीकरण 2 (2019 के अधिनियम संख्या 1 की धारा 31 द्वारा यथा अंतःस्थापित) को 1 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा।

(2) ऐसे सभी कर का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसे संगृहीत किया गया है किंतु जिसे संगृहीत नहीं किया गया होता यदि उप-धारा (1) सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती।

27. अस्थायी उपबन्ध.—इस अधिनियम के अधीन किए गए संशोधन, दाव लगाने, कैसिनो, द्यूतक्रीड़ा, घुड़दौड़, लाटरी या ऑनलाइन गेम खेलने को प्रतिषिद्ध, निर्बंधित या विनियमित करने का उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा माल या सेवा या दोनों के राज्यांतरिक प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण तथा उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की तर्ज पर उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था। माल और सेवा कर अधिनियम केन्द्रीय और राज्य स्तर पर लगभग समस्त अप्रत्यक्ष करों को समाविष्ट करते हुए 'एक राष्ट्र, एक कर' दृष्टिकोण सहित अपनी तरह का प्रथम ऐतिहासिक कर सुधार है। केन्द्रीय सरकार ने पहले ही माल और सेवा कर परिषद् (जीएसटी काउंसिल) की सिफारिशों पर केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन कार्यान्वित कर दिए हैं। इसलिए, देश भर में समान शुरुआत करने के आशय से, समस्त राज्यों के लिए तत्स्थानी संशोधन कार्यान्वित करना आज्ञापक है। अतः देश भर में एकरूपता प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन करना समीचीन हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मंत्री।

शिमला:

तारीख:....., 2023

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबंधों के अधिनियमित होने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र के माध्यम से प्रवर्तित किया जाएगा और कोई अतिरिक्त व्यय अंतर्वलित नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(नस्ति संख्या: ईएक्सएन—डी(6)—1/2023)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को राज्य विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(सुखविन्दर सिंह सुक्खू)
मुख्य मन्त्री।

(शरद कुमार लगवाल)
सचिव (विधि)।

शिमला:

तारीख:....., 2023

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 16 of 2023

**THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (2nd AMENDMENT)
BILL, 2023**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 2.
3. Amendment of section 10.
4. Amendment of section 16.
5. Amendment of section 17.
6. Amendment of section 23.
7. Amendment of section 24.
8. Amendment of section 30.
9. Amendment of section 37.
10. Amendment of section 39.
11. Amendment of section 44.
12. Amendment of section 52.
13. Amendment of section 54.
14. Amendment of section 56.
15. Amendment of section 62.
16. Substitution of section 109.
17. Omission of sections 110 and 114.
18. Amendment of section 117.
19. Amendment of section 118.
20. Amendment of section 119.

21. Amendment of section 122.
22. Amendment of section 132.
23. Amendment of section 138.
24. Insertion of section 158A.
25. Amendment of Schedule-III.
26. Retrospective exemption to certain activities and transactions in Schedule-III.
27. Transitory provision.

Bill No. 16 of 2023

**THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX
(2nd AMENDMENT) BILL, 2023**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 10 of 2017).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (2nd Amendment) Act, 2023.

(2) Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall come into force on such date as the Government may, by notification, in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh, appoint.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the “principal Act”),—

(a) after clause (80), the following clauses shall be inserted, namely:—

“(80A) “online gaming” means offering of a game on the internet or an electronic network and includes online money gaming;

(80B) “online money gaming” means online gaming in which players pay or deposit money or money’s worth, including virtual digital assets, in the expectation of winning money or money’s worth, including virtual digital assets, in any event including game, scheme, competition or any other activity or process, whether or not its outcome or performance is based on skill, chance or both and whether the same is permissible or otherwise under any law for the time being in force;”;

(b) after clause (102), the following clause shall be inserted, namely:—

“(102A) “specified actionable claim” means actionable claim involved in or by way of;

(i) betting; or

- (ii) casinos; or
- (iii) gambling; or
- (iv) horse racing; or
- (v) lottery; or
- (vi) online money gaming;”;

(c) in clause (105), the following proviso shall be inserted at the end, namely:—

“Provided that a person who organises or arranges, directly or indirectly, supply of specified actionable claims, including a person who owns, operates or manages digital or electronic platform for such supply, shall be deemed to be a supplier of such actionable claims, whether such actionable claims are supplied by him or through him and whether consideration in money or money’s worth, including virtual digital assets, for supply of such actionable claims is paid or conveyed to him or through him or placed at his disposal in any manner, and all the provisions of this act shall apply to such supplier of specified actionable claims, as if he is the supplier liable to pay the tax in relation to the supply of such actionable claims;” and

(d) after clause (117), the following clause shall be inserted, namely:—

“(117A) “virtual digital asset” shall have the same meaning as assigned to it in clause (47A) of section 2 of the Income Tax Act, 1961(43 of 1961);”.

3. Amendment of section 10.—In the principal Act, in section 10, —

- (a) in sub-section (2), in clause (d), the words “goods or” shall be omitted; and
- (b) in sub-section (2A), in clause (c), the words “goods or” shall be omitted.

4. Amendment of section 16.—In section 16 of the principal Act, in sub-section (2), —

- (i) in the second proviso, for the words and sign “added to his output tax liability, along with interest thereon”, the words and figures “paid by him along with interest payable under section 50” shall be substituted; and
- (ii) in the third proviso, after the words “made by him”, the words “to the supplier” shall be inserted.

5. Amendment of section 17.—In section 17 of the principal Act, —

- (a) in sub-section (3), in the Explanation, for the words and figure “except those specified in paragraph 5 of the said Schedule”, the following shall be substituted, namely:—

“except, —

- (i) the value of activities or transactions specified in paragraph 5 of the said Schedule; and
- (ii) the value of such activities or transactions as may be prescribed in respect of clause (a) of paragraph 8 of the said Schedule.”; and

(b) in sub-section (5), after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:—

“(fa) goods or services or both received by a taxable person, which are used or intended to be used for activities relating to his obligations under corporate social responsibility referred to in section 135 of the Companies Act, 2013;”.

6. Amendment of section 23.—In section 23 of the principal Act, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—

“(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (1) of section 22 or section 24, the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, specify the category of persons who may be exempted from obtaining registration under this Act.”.

7. Amendment of section 24.—In section 24 of the principal Act,—

(a) in clause (xi), the word “and” occurring at the end, shall be omitted; and

(b) after clause (xi), the following clause shall be inserted, namely:—

“(xia) every person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India; and”.

8. Amendment of section 30.—In section 30 of the principal Act, in sub-section (1),—

(a) for the words “the prescribed manner within thirty days from the date of service of the cancellation order:”, the words “such manner, within such time and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed.” shall be substituted; and

(b) the proviso shall be omitted.

9. Amendment of section 37.—In section 37 of the principal Act, after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely: —

“(5) A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under sub-section (1) for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said details:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the details of outward supplies for a tax period under sub-section (1), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said details.”.

10. Amendment of section 39.—In section 39 of the principal Act, after sub-section (10), the following sub-section shall be inserted, namely: —

“(11) A registered person shall not be allowed to furnish a return for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said return:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the return for a tax period, even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said return.”.

11. Amendment of section 44.—Section 44 of the principal Act, shall be renumbered as sub-section (1) thereof, and after sub-section (1) as so renumbered, the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(2) A registered person shall not be allowed to furnish an annual return under sub-section (1) for a financial year after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said annual return:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, and subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish an annual return for a financial year under sub-section (1), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said annual return.”.

12. Amendment of section 52.—In section 52 of the principal Act, after sub-section (14), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(15) The operator shall not be allowed to furnish a statement under sub-section (4) after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said statement:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow an operator or a class of operators to furnish a statement under sub-section (4), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said statement.”.

13. Amendment of section 54.—In section 54 of the principal Act, in sub-section (6), the words and sign “excluding the amount of input tax credit provisionally accepted,” shall be omitted.

14. Amendment of section 56.—In section 56 of the principal Act, for the words “from the date immediately after the expiry of sixty days from the date of receipt of application under the said sub-section till the date of refund of such tax”, the words and sign “for the period of delay beyond sixty days from the date of receipt of such application till the date of refund of such tax, to be computed in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed” shall be substituted.

15. Amendment of section 62.—In section 62 of the principal Act, in sub-section (2),—

- (a) for the words “thirty days”, the words “sixty days” shall be substituted; and
- (b) for the sign “.”, the sign “:” shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that where the registered person fails to furnish a valid return within sixty days of the service of the assessment order under sub-section (1), he may furnish the same within a further period of sixty days on payment of an additional late fee of one hundred rupees for each day of delay beyond sixty days of the service of the said assessment order and in case he furnishes valid return within such extended period, the

said assessment order shall be deemed to have been withdrawn, but the liability to pay interest under sub-section (1) of section 50 or to pay late fee under section 47 shall continue.”.

16. Amendment of section 109.—In the principal Act, for section 109 the following shall be substituted, namely, —

“109. Constitution of Appellate Tribunal and Benches thereof.—Subject to the provisions of this Chapter, the Goods and Services Tax Tribunal constituted under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 shall be the Appellate Tribunal for hearing appeals against the orders passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act.”.

17. Amendment of section 110 and 114.—Sections 110 and 114 of the principal Act, shall be omitted.

18. Amendment of section 117.—In section 117 of the principal Act, in sub-sections (1) and (5) for the words “State Bench or Area Benches” wherever occurring, the words “State Benches” shall be substituted.

19. Amendment of section 118.—In section 118 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (a), for the words “National Bench or Regional Benches”, the words “Principal Bench” shall be substituted.

20. Amendment of section 119.—In section 119 of the principal Act,—

- (a) for the words “National or Regional Benches”, the words “Principal Bench” shall be substituted;
- (b) for the words “State Bench or Area Benches”, the words “State Benches” shall be substituted.

21. Amendment of section 122.—In section 122 of the of the principal Act, after sub-section (1A), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(1B) Any electronic commerce operator who—

- (i) allows a supply of goods or services or both through it by an unregistered person other than a person exempted from registration by a notification issued under this Act to make such supply;
- (ii) allows an inter-State supply of goods or services or both through it by a person who is not eligible to make such inter-State supply; or
- (iii) fails to furnish the correct details in the statement to be furnished under sub-section (4) of section 52 of any outward supply of goods effected through it by a person exempted from obtaining registration under this Act,

shall be liable to pay a penalty of ten thousand rupees, or an amount equivalent to the amount of tax involved had such supply been made by a registered person other than a person paying tax under section 10, whichever is higher.”.

22. Amendment of section 132.—In section 132 of the of the principal Act, in sub-section (1),—

- (a) clauses (g), (j) and (k) shall be omitted;
- (b) in clause (l),—
 - (i) for the words, sign and letters “clauses (a) to (k)”, the words, sign and letters “clauses (a) to (f) and clauses (h) and (i)” shall be substituted;
 - (ii) in clause (iii), for the words “any other offence”, the words, sign and letter “an offence specified in clause (b),” shall be substituted; and
 - (iii) in clause (iv), the words, sign and letters “or clause (g) or clause (j)” shall be omitted.

23. Amendment of section 138.—In section 138 of the principal Act,—

- (a) in sub-section (1), in the first proviso,—
 - (i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

“(a) a person who has been allowed to compound once in respect of any of the offences specified in clauses (a) to (f), (h), (i) and (l) of sub-section 132;”;
 - (ii) clause (b) shall be omitted;
 - (iii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

“(c) a person who has been accused of committing an offence under clause (b) of sub-section (1) of section 132;”;
 - (iv) clause (e) shall be omitted; and
- (b) in sub-section (2), for the words and signs “ten thousand rupees or fifty percent of the tax involved, whichever is higher, and the maximum amount not being less than thirty thousand rupees or one hundred and fifty per cent of the tax, whichever is higher”, the words “twenty-five per cent of the tax involved and the maximum amount not being more than one hundred percent of the tax involved” shall be substituted.

24. Insertion of section 158A—After section 158 of the of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

“158A. Consent based sharing of information furnished by taxable person.— (1) Notwithstanding anything contained in sections 133, 152 and 158, the following details furnished by a registered person may, subject to the provisions of sub-section (2), and on the recommendations of the Council, be shared by the common portal with such other systems as may be notified by the Government, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed, namely:—

- (a) particulars furnished in the application for registration under section 25 or in the return filed under section 39 or under section 44;
- (b) the particulars uploaded on the common portal for preparation of invoice, the details of outward supplies furnished under section 37 and the particulars uploaded on the common portal for generation of documents under section 68;

- (c) such other details as may be prescribed.
- (2) For the purposes of sharing details under sub-section (1), the consent shall be obtained, of—
- (a) the supplier, in respect of details furnished under clauses (a), (b) and (c) of sub-section (1); and
- (b) the recipient, in respect of details furnished under clause (b) of sub-section (1), and under clause (c) of sub-section (1) only where such details include identity information of the recipient,
- in such form and manner as may be prescribed.
- (3) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no action shall lie against the Government or the common portal with respect to any liability arising consequent to information shared under this section and there shall be no impact on the liability to pay tax on the relevant supply or as per the relevant return.”.

25. Amendment of Schedule-III.—In the principal Act, in schedule-III, in paragraph 6, for the words “lottery, betting and gambling”, the words “specified actionable claim” shall be substituted.

26. Retrospective exemption to certain activities and transactions in Schedule-III.—

(1) In Schedule-III to the principal Act, paragraphs 7 and 8 and the Explanation 2 thereof (as inserted vide section 31 of Act 1 of 2019) shall be deemed to have been inserted therein with effect from the 1st day of July, 2017.

(2) No refund shall be made of all the tax which has been collected, but which would not have been so collected, had sub-section (1) been in force at all material times.

27. Transitory provision.—The amendments made under this Act shall be without prejudice to the provisions of any other law for the time being in force, providing for prohibiting, restriction or regulating betting, casino, gambling, horse racing, lottery or online gaming.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 was enacted on the analogy of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 to make provision for levying and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both by the State of Himachal Pradesh and matters connected therewith or incidental thereto. The Goods and Services Tax Act is a landmark tax reform with first of its kind, ‘one nation, one tax’ approach, aimed at subsuming almost all indirect taxes at the Central and State level. The Central Government has already carried out amendments in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 on the recommendations of the Goods and Services Tax Council (GST Council). Therefore, in order to have a uniform threshold across the Country, it is mandatory for all the State Governments to carry out corresponding amendments in the State Act. Hence, it has become expedient to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 in order to have uniformity across the Country.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)

Chief Minister.

SHIMLA:

THE....., 2023

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted are to be enforced through the existing Government machinery and no additional expenditure will be involved.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—

**RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE
CONSTITUTION OF INDIA**

(File No. EXN-D(6)-1/2023)

The Governor of Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (2nd Amendment) Bill, 2023, recommends under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.

**THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (2nd AMENDMENT)
BILL, 2023**

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017
(Act No. 10 of 2017).*

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)

Chief Minister.

(SHARAD KUMAR LAGWAL)

Secretary (Law).

SHIMLA:

THE....., 2023